प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 10 मार्च, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से प्रयागराज मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 22 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **प्रयागराज मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 22 मार्गों के चालू कार्यों हेतु तालिका-2 के अनुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 15,55,53,000/- (रूपये पन्द्रह करोड़ पचपन लाख तिरपन हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षके-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्र0सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
1	17544/CE-HQ1/RSN5054/PRJ/2025-26	31-10-2025
2	17574/CE-HQ1/RSN5054/PRJ/2025-26	31-10-2025
3	17678/CE-HQ1/RSN5054/PRJ/2025-26	07-11-2025
4	17748/CE-HQ1/RSN5054/PRJ/2025-26	14-11-2025
5	17958/CE-HQ1/RSN5054/PRJ/2025-26	21-11-2025
6	17995/CE-HQ1/RSN5054/PRJ/2025-26	25-11-2025
7	18481/CE-HQ1/RSN5054/PRJ/2025-26	30-12-2025
8	18554/CE-HQ1/RSN5054/PRJ/2025-26	06-01-2026
9	18772/CE-HQ1/RSN5054/PRJ/2025-26	20-01-2026
10	18918/CE-HQ1/RSN5054/PRJ/2025-26	27-01-2026
11	19113/CE-HQ1/RSN5054/PRJ/2025-26	29-01-2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

तालिका-2

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रा.ख. फतेहपुर	किशनपुर मार्ग से गढ़ाकोट मार्ग (अ0जि0मा0) (चैनेज 0.000 से 9.6000) में चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1007 /2023/आई/422950 /23-1-23/001-23-1002(002)/209/2023 -दिनांक-07-11-2023	2299.92 2191.70 1040.00 307.00 1884.70	1832.03	52.67	21.08
2	नि.ख.-2 प्रतापगढ़	लालगोपालगंज से पीथीपुर वाया रेलवे वाया स्टेशन, बेधन गोपालपुर, गाधी चैराहा, भैसा चैराहा मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	692/2024/आई/833 055/23-1-24/001-23-1002(002)/222/2024-दिनांक-24-12-2024	1088.12 1086.37 865.26 19.09 1067.28	933.53	133.75	32.82
3	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	प्रयागराज लखनऊ मार्ग से फाफामऊ तिराहा मार्ग के पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	551 /2024/आई/777519 /23-1-24/001-23-1002(002)/153 /2024 -दिनांक-22-10-2024	34.94 34.94 19.60 8.75 26.19	6.98	19.21	7.68
4	नि.ख.-2 फतेहपुर	देवमई वाया कंधरपुर देवमई सुजायलपुर केशरीपुर मार्ग लच्छीपुर मार्ग के पुनर्निर्माण कार्य।	180 /2025/आई/923353 /23-1-25/001-23-1002(002)/89/2025-दिनांक-29-03-2025	35.93 35.93 19.49 8.35 27.58	19.31	8.27	2.76
5	प्रा.ख. प्रयागराज	भीरपुर भगनपुर मार्ग के राइडिंग क्वालिटी सुधार का कार्य।	51 /2024/आई/495937 /23-1-24/001-23-1002(002)/27/2024-दिनांक-15-02-2024	527.17 527.17 290.84 134.25 392.92	379.60	13.32	5.33
6	नि.ख.-2 फतेहपुर	फतेहपुर में सकूरा मुसाफा कुड़नी (अ0जि0मा0) मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	746 /2024/आई/835988 /23-1-24/ 001-23-1002(002)/237/2024 -दिनांक-28-12-2024	1219.97 1219.97 615.68 257.41 962.56	359.00	603.56	210.00
7	नि.ख.-2 फतेहपुर	बकेवर से करबिगवा वाया मुसाफा (ओ0डी0आर0) मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	93 /2025/आई/876756 /23-1-25/001-23-1002(002)/28/2025 दिनांक 10.02.2025-दिनांक-10-02-2025	1521.95 1521.95 797.68 397.10 1124.85	373.52	751.33	277.90
8	नि.ख.-1 प्रतापगढ़	रेहुआ लालगंज राहाटीकर (एम0डी0आर0-174ई) से बलीपुर बोदवा सम्पर्क मार्ग के किमी0 2 से डीह	130 /2025/आई/904716 /23-1-25/003-23-1002(002)/7/2025-दिनांक-11-03-2025	499.22 451.86 234.59 148.45 303.41	185.01	118.40	50.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		रजवाहा पर रायबरेली सीमा तक नवनिर्माण कार्य।					
9	नि.ख.-1 प्रतापगढ़	कैथोला-बीरषाहपुर हाईवे से देलहुपुर-रानीगंज हाईवे के आगे बरीबोझ, राजा का पुरवा तक, नहर की पटरी होते हुए कामापुर सरैया, पूरे दीवान, कैथोला तक सम्पर्क मार्ग।	130 /2025/आई/904716 /23-1-25/003-23-1002(002)/7/2025- दिनांक-11-03-2025	314.37 276.39 207.09 40.20 236.19	116.35	119.84	56.00
10	प्रा.ख. कौशाम्बी	कड़ा अलीपुर जीता मार्ग के किमी0 2 से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कड़ा तक मार्ग (छूटी कड़ी) (भूमि अधिग्रहण की लागत सम्मिलित)	293/2021/1258 रासनि/23-1-21-08 रासनि/21-दिनांक- 18-11-2021	168.69 168.69 95.37 0.57 168.12	114.04	54.08	21.63
11	नि.ख.-2 प्रतापगढ़	कन्हैयानगर त्रिलोकपुर रामवनगमन मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	164 /2025/आई/918927 /23-1-25/002-23-1002(002)/222/202 4-दिनांक-26-03-2025	1622.10 1532.83 1190.56 4.79 1528.04	728.28	799.76	284.00
12	प्रा.ख. प्रतापगढ़	उड़ैयाडीह पृथ्वीगंज (अन्य जिला मार्ग) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	93 /2025/आई/876756 /23-1-25/001-23-1002(002)/28/2025 दिनांक 10.02.2025- दिनांक-10-02-2025	1234.77 1209.78 619.46 370.59 839.19	520.66	318.53	120.12
13	नि.ख.-2 फतेहपुर	जनपद फतेहपुर में बहराइच बांदा मार्ग का निष्काशित भाग (बहुआ चिल्लाघाट मार्ग) (ओ0डी0आर0) मार्ग का सुदृढ़ीकरण का कार्य।	48 /2024/आई/496246 /23-1-24/001-23-1002(002)/5/2024- दिनांक-15-02-2024	649.26 649.26 361.06 143.17 506.09	279.16	226.93	80.65
14	नि.ख.-1 प्रतापगढ़	मनोहरापुर (रामपुर दाबी) से जहानाबाद, लवाना मार्ग तक वाया षिव बक्ष का पुरवा, कामापट्टी नहर की कोठी (प्रतापगढ़ ब्रांच नहर पटरी सम्पर्क मार्ग।	130 /2025/आई/904716 /23-1-25/003-23-1002(002)/7/2025- दिनांक-11-03-2025	466.08 415.18 209.93 63.00 352.18	166.54	185.64	60.00
15	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	स्व0 जर्नादन प्रसाद मिश्रा (टटिहरामय) सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	166/2019/353 रासनि/23-1-19-16 रासनि/19-दिनांक- 26-12-2019	51.32 51.32 31.56 8.67 42.65	29.85	12.80	5.12

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
16	प्रा.ख. प्रतापगढ़	गजरिया पृथ्वीगंज रोड से रसूलहा प्राइमरी स्कूल तक सं0 मार्ग।	49/2021/1800 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21-दिनांक-07-01-2022	76.61 76.61 55.75 2.98 73.63	7.66	65.97	24.92
17	प्रा.ख. प्रतापगढ़	विकास खण्ड मगरौरा में दयाल दूबे से डुहिया संपर्क मार्ग	50/2025/आई/860235/23-1-25/001-23-1002(002)/10/2025-दिनांक-27-01-2025	68.58 62.27 31.57 20.84 41.43	38.80	2.63	2.62
18	नि.ख.-3 प्रयागराज	जनपद प्रयागराज में गौहानी बारा मार्ग (अ0जि0मा0) के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	121/2025/आई/894682/23-1-25/002-23-1002(002)/28/2025-दिनांक-28-02-2025	1015.32 1015.32 523.04 57.90 957.42	778.08	179.34	52.59
19	प्रा.ख. प्रयागराज	कपूरी-बेलहट-पारा-गिरगौठा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	746 /2024/आई/835988 /23-1-24/ 001-23-1002(002)/237/2024 -दिनांक-28-12-2024	1038.78 1038.78 496.45 389.27 649.51	492.94	156.57	49.64
20	प्रा.ख. प्रयागराज	बड़ोखर रत्यौरा महुआव मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। (चैनेज 11.865 से 19.365)	93 /2025/आई/876756 /23-1-25/001-23-1002(002)/28/2025 दिनांक 10.02.2025-दिनांक-10-02-2025	1674.85 1674.85 834.25 596.33 1078.52	614.97	463.55	163.85
21	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	सहसों बगई खुर्द चन्दोहा जलालपुर हनुमानगंज मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	350/2024/154-आरएसएन/23-1-2024/001-05(एस)/आरएसएन-सीओएम/2024-दिनांक-24-08-2024	1721.15 1721.15 917.00 561.69 1159.46	1101.49	57.97	6.76
22	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	बेनी बॉध मार्ग के पटरी पर उच्चीकरण का कार्य।	551 /2024/आई/777519 /23-1-24/001-23-1002(002)/153 /2024 -दिनांक-22-10-2024	105.13 105.13 71.45 25.00 80.13	29.98	50.15	20.06
						कुल योग-	**1555.53**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 15,55,53,000/- (रूपये पन्द्रह करोड़ पचपन लाख तिरपन हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/ सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण मानक मद 24- वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-149/2026/आई/1260924(1)/23-1-26/003-23-1002(002)/272/2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।

2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।

7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।

11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।